



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244937
CG-DL-E-05042023-244937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1556]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945

No. 1556]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

का.आ. 1634(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) की तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के, स्तंभ (2) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट खंड की निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड के विकास और रख-रखाव से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	खंड कि.मी. में
(1)	(2)	(3)
62 (नया रारा-217)	दुधनोई -असम/मेघालय सीमा (दैनादुबी खंड के पास) (असम राज्य में)	कि.मी. 0.000 से किमी 8.600
62 (नया रारा-217)	असम/मेघालय सीमा (दैनादुबी के पास) - दारुग्रे खंड) (मेघालय राज्य में)	कि.मी. 8.600 से किमी 53.000
नया रारा-127 बी	दारुग्रे -विलियमनगर जंक्शन खंड (मेघालय राज्य में)	कि.मी. 112.000 से कि.मी. 151.060

[फा. सं. रारा-14013/4/2023-पीएण्डएम]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2023

S.O. 1634(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
62 (New NH-217)	Dudhnoi-Assam/Meghalaya border (near Dainadubi section) (In the State of Assam)	Km. 0.000 to Km. 8.600
62 (New NH-217)	Assam/Meghalaya border (near Dainadubi) - Darugre section (In the State of Meghalaya)	Km. 8.600 to Km. 53.000
New NH-127B	Darugre- – Williamnagar Junction section (In the State of Meghalaya)	Km. 112.000 to Km. 151.060

[F. No. NH-14013/4/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

का.आ. 1635(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं.16 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"16"	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40, [जोराबात -शिलांग (बारापानी) खंड के किमी 0.000 से किमी. 61.800 कि.मी. और कि.मी. 61.80 से कि.मी 162.00 (मावलिंगखुंग /शिलांग- डावकी खंड तक को छोड़कर)], संख्या 44 [किमी 69.200 किमी. 173.200 (जोवाई से मेघालय और असम सीमा खंड)तक को छोड़कर], संख्या 51 [किमी 85,000 किमी. 95.000 और किमी 101.000 से किमी. 145.000तक	मेघालय राज्य सरकार"

	को छोड़कर], संख्या 62 [असम/मेघालय सीमा (दैनाडुबी के पास) से दारुग्रे खंड के किमी 8.600 से किमी 53.000 तक को छोड़कर] और शिलांग बाईपास के [किमी 61.800 (रारा-40) से किमी. 34.850 (रारा-44)] तक को छोड़कर और नया रारा संख्या 127बी [दारुग्रे - विलियमनगर जंक्शन खंड के कि.मी. 112.000 से किमी. 151.060] को छोड़कर जो मेघालय राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--	--

[फा. सं. रारा-14013/4/2023-पीएण्डएम]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-979(अ), तारीख 1 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2023

S.O. 1635(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“16	So much of National Highways No. 40 [excluding from Km. 0.000 to Km. 61.800 of Jorabat-Shillong (Barapani) section and Km . 61.80 to Km. 162.00 (Mawlyngkhung/ Shillong – Dawki section)], No. 44 [excluding from km. 69.200 to km. 173.200 (Jowai to Meghalaya and Assam Border Section)], No. 51 [excluding from km. 85.000 to km. 95.000 and from km. 101.000 to km. 145.000], No. 62 [excluding from Assam/Meghalaya border (near Dainadubi) to Darugre section from km 8.600 to km. 53.000] and also excluding Shillong bypass [from Km. 61.800 (NH-40) to Km. 34.850 (NH-44)] and new NH No. 127B [excluding from Darugre- – Williamnagar Junction section from Km. 112.000 to Km. 151.060] as are situated within the State of Meghalaya.	State Government of Meghalaya.

[F. No. NH-14013/4/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 979 (E), dated the 1st March, 2023.